उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–हदबंदी अपील वाद संख्या – 60/2023

गणेश महतो वगै० बनाम् चन्द्र मोहन महतो वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
01.08.2023 21/08/2023	इस वाद की कार्रवाई अपीलार्थी 1. गणेश महतो, 2. बिनोद महतो, दोनों पिता– केतरू महतो, 3. महेश राम महतो, 4. अर्जुन महतो, दोनो पिता–भुखन महतो, 5. शत्रुघन महतो, पिता–झुबर महतो, निवास ग्राम–उसरा, टोला रैयाटॉड, पो०–कोरचे, थाना–रजरप्पा, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–हदबंदी वाद संख्या–02/1986 चन्द्र मोहन महतो बनाम् भाकुर महतो वगै० दिनांक–08.03.1988 को पारित आदेश विरूद्ध U/S- 30 of Bihar Land Reform (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus) Act-1961 के तहत् अपील वाद दायर किया गया है। आवेदन के साथ निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सत्यापित प्रति एवं U/S-5 of Limitation Act के तहत् कालबद्ध को क्षान्त करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अपीलीर्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–हदबंदी वाद संख्या–02/1986 चन्द्र मोहन महतो बनाम् भाकुर महतो वगै० में दिनांक–08.03.1988 को आदेश पारित किया गया, जबकि केवाला 28.05.2018 को अंचल अधिकारी, दुलमी के द्वारा किया गया, जिसकी जानकारी मुझे 01.06.2023 को हुई। जानकारी के बाद मेरे द्वारा अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त किया गया। जिसके अवलोकन से ज्ञात हुआ कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा बिना किसी सूचना के Pre-emption का आदेश पारित किया गया है। उन्होनें Condone the delay करते हुए अपील को Admit करने का अनुरोध किया है।	

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि जब वाद की कार्रवाई 1986 से प्रारंभ करते हुए 1988 में आदेश पारित किया गया, जिसमें विक्रैता को पक्षकार भी बनाया गया है तो यह कहना कि उक्त वाद के संबंध में जानकारी नहीं है, तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। यह मामला कालबाधित है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विद्वान सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में अपील आवेदन प्रविष्टि के बिन्दु पर अस्वीकृत किया जाता है। उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 21/08/23

उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 21/08/23

उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2023.08.26 13:56:36 +05:30
Location: 192.168.1.13